

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AYUSH**

**RAJYA SABHA
STARRED QUESTION No. 78
TO BE ANSWERED ON 11.02.2025**

National AYUSH Mission

78 Shri Madan Rathore:

Will the Minister of *Ayush* be pleased to state:

- (a) the details of National AYUSH Mission (NAM);
- (b) the success rate in strengthening AYUSH healthcare services and integrating it into the mainstream public health sector;
- (c) the impact of NAM on healthcare accessibility and quality across the targeted regions; and
- (d) the strategies employed to ensure that the benefits of NAM reach vulnerable populations, including those in rural and tribal areas?

ANSWER

**THE MINISTER OF STATE (IC) OF THE MINISTRY OF AYUSH
(SHRI PRATAPRAO JADHAV)**

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

The Statement referred in reply to Rajya Sabha Starred Question No. 78 for 11.02.2025

(a) Ministry of Ayush is implementing Centrally Sponsored Scheme of National Ayush Mission (NAM) through State/UT Governments for development and promotion of Ayush systems of medicine in the country including vulnerable populations in rural and tribal areas. Grant-in-aid is provided to States/UTs as per the proposals submitted by them through State Annual Action Plans (SAAPs). The NAM inter-alia makes provision for following activities:

- (i) Operationalization of Ayush Health & Wellness Centres (AHWCs) now renamed as Ayushman Arogya Mandir (Ayush).
- (ii) Co-location of Ayush facilities at Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs) and District Hospitals (DHs)
- (iii) Upgradation of existing standalone Government Ayush Hospitals
- (iv) Upgradation of existing Government/Panchayat/Government aided Ayush Dispensaries/ Construction of building for existing Ayush Dispensary (Rented/dilapidated accommodation) /Construction of building to establish new Ayush Dispensary
- (v) Setting up of 10/30/50 bedded integrated Ayush Hospitals
- (vi) Supply of essential drugs to Government Ayush Hospitals, Government Dispensaries and Government/Government aided Teaching Institutional Ayush Hospitals
- (vii) Ayush Public Health Programs
- (viii) Establishment of new Ayush colleges in the States where availability of AYUSH teaching institutions is inadequate in Government Sector.
- (ix) Infrastructural development of Ayush Under-Graduate Institutions and Ayush Post-Graduate Institutions/add on PG/ Pharmacy/Para-Medical Courses.

Under NAM, as per the proposals received from the State/UT Governments through SAAPs, Ministry of Ayush has released an amount of Rs. 4534.28 Crores from the year 2014-15 to 2023-24 for implementation of different activities in the country. The major achievement under NAM is furnished at **Annexure**.

(b) Government of India has adopted a strategy of Co-location of Ayush facilities at Primary Health Centres (PHCs), Community Health Centres (CHCs) and District Hospitals (DHs), thus enabling the choice to the patients for different systems of medicines under a single window. The engagement of Ayush doctors/ paramedics and their training is being supported by the Ministry of Health & Family Welfare under National Health Mission (NHM), while the support for Ayush infrastructure, equipment/ furniture and medicines is being provided by the Ministry of Ayush under National Ayush Mission (NAM), as shared responsibilities. Further, 6354 PHCs, 3010 CHCs and 474 DHs have been co-located with Ayush facilities across the country as per the NHM-MIS database as on 30.06.2024.

(c) After implementation of NAM Scheme, the scale of achievement for development of Ayush system of medicine in the States/UTs has increased significantly. Accordingly, budget allocation of NAM enhanced gradually from Rs. 75.28 Crore (in 2014-15) to Rs.1200.00 Crore (in 2024-25) for implementation of different activities of NAM Scheme through States/UTs. Under NAM, Ministry of Ayush has approved 167 integrated Ayush hospitals from 2014-15 to 2022-23. Out of approved integrated Ayush hospitals, 52 hospitals are functional and providing treatment to public at large.

Further, Ministry of Ayush has also approved 12500 Ayush Health & Wellness Centres (AHWCs) now known as Ayushman Arogya Mandir (Ayush) to be operationalized by upgrading Ayush Dispensaries and Sub Health Centres. As reported by State/UT Governments, 12273 AHWCs are functional and providing holistic Ayush services at the grass root level to the community including vulnerable populations in rural and tribal areas. Further, as reported by State/UT Governments, total 9.05 crore beneficiaries have visited to Ayushman Arogya Mandir-Ayush (AAM-Ayush) during the year 2023-24.

(d) Under NAM, State/UT Governments are also being supported for implementation of following structured Ayush Public Health Programmes in different parts of the country including vulnerable populations in rural and tribal areas to address the problem of masses as per the potentials of Ayush health care systems in providing preventive, promotive, curative and rehabilitative health care as standalone or add on to conventional interventions:-

(i) National Program for Prevention and Management of Musculoskeletal Disorders:-National Program for Prevention and Management of Osteoarthritis & other Musculoskeletal Disorders wherein awareness, screening and Ayush interventions are being focused.

(ii) Integration of Ayush with National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Diseases and Stroke (NPCDCS)

(iii) SUPRAJA (AYUSH Maternal & Neo-natal Intervention):For strengthening Ayush based Maternal & Neo-natal Interventions through Ayush teaching hospitals

(iv) VAYO MITRA (AYUSH Geriatric Healthcare Services): Ayush Geriatric Healthcare Services is a program for senior citizens to live healthy productive lives.

(v) AYURVIDYA: (Promotion of healthy lifestyle through AYUSH System in School) Ayurvedya program for Healthy Lifestyle through Ayush for School Children.

(vi) AYUSH Mobile Medical Unit: Mobile Medical Units are proposed for healthcare in underserved and far flung areas including tribal area through Ayush systems.

(vii) KARUNYA: (AYUSH Palliative Services): Ayush Palliative Services aims to improve Quality of Life in patients under palliative care.

(viii) National Program on AYUSH for morbidity management and Disability Prevention (MMDP) of Lymphatic Filariasis (lymphoedema):Morbidity management and Disability Prevention (MMDP) of Lymphatic Filariasis (lymphoedema) through Ayush interventions.

Annexure referred in reply to the Rajya Sabha Starred Question No. 78 for 11.02.2025

Annexure

Major activities supported under NAM from 2014-15 to 2023-24

- (i) 167 units supported for setting up of Integrated Ayush hospitals
- (ii) 416 Ayush Hospitals and 5036 Ayush dispensaries have been supported for Up-gradation of infrastructure and other facilities
- (iii) 2322 PHCs, 715 CHCs and 314 DHs have been supported under co-location for recurring assistance of medicines and contingency on an average in each year
- (iv) 996 Ayush Hospitals and 12405 Ayush dispensaries have been supported for supply of essential Ayush medicines on an average in each year.
- (v) 16 units supported for establishment of New Ayush Educational Institutions
- (vi) 76 Under-Graduate and 36 Post-Graduate Ayush Educational Institutes have been supported for Upgradation of infrastructure, Library and other things
- (vii) 1055 Ayush Grams have been supported
- (viii) 12500 Ayushman Arogya Mandir (Ayush) have been supported.

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. - 78*

11 फरवरी, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन

*78. श्री मदन राठौड़:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) का ब्यौरा क्या है;
- (ख) आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र की मुख्यधारा के साथ जोड़ने में कितनी सफलता मिली है;
- (ग) लक्षित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता पर राष्ट्रीय आयुष मिशन का क्या प्रभाव पड़ा है; और
- (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति अपनाई गई है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन का लाभ कमजोर आबादी के साथ-साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचे?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

राज्य सभा में 11 फरवरी, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 78* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क) आयुष मंत्रालय ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर आबादी सहित देश में आयुष चिकित्सा पद्धति के विकास और संवर्धन के लिए राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के अनुसार अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एनएएम अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:

- i. आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) का संचालन जिसे अब आयुषमान आरोग्य मंदिर (आयुष) नाम दिया गया है।
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
- iv. मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण
- v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना

- vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी औषधियों की आपूर्ति
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
- viii. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- ix. आयुष स्नातक संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों को शामिल करना।

एनएएम के अंतर्गत, एसएएपी के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने देश में विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक 4534.28 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। एनएएम के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों का विवरण संलग्नक पर दिया गया है।

ख) भारत सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं के सह-स्थापन की कार्यनीति अपनाई है, जिससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के लिए विकल्प चुनने में मदद मिलती है। आयुष डॉक्टरों/पैरामेडिक्स की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, जबकि आयुष बुनियादी ढांचे, उपकरण/फर्नीचर और दवाओं के लिए सहायता राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा साझा जिम्मेदारियों के रूप में प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, दिनांक 30.06.2024 तक एनएचएम-एमआईएस डेटाबेस के अनुसार देश भर में 6354 पीएचसी, 3010 सीएचसी और 474 डीएच को आयुष सुविधाओं के साथ सह-स्थापन किया गया है।

ग) एनएएम योजना के कार्यान्वयन के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुष

चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उपलब्धि के पैमाने में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से एनएएम योजना की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एनएएम का बजट आवंटन उत्तरोत्तर 75.28 करोड़ रुपये (2014-15 में) से बढ़कर 1200.00 करोड़ रुपये (2024-25 में) हो गया। एनएएम के तहत, आयुष मंत्रालय ने 2014-15 से 2022-23 तक 167 एकीकृत आयुष अस्पतालों को मंजूरी दी है। स्वीकृत एकीकृत आयुष अस्पतालों में से 52 अस्पताल कार्यशील हैं और बड़े पैमाने पर जनता को उपचार प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, आयुष मंत्रालय ने 12500 आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी) को भी मंजूरी दी है, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करके संचालित किया जाना है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 12273 एएचडब्ल्यूसी कार्यशील हैं और ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर आबादी सहित समुदाय को जमीनी स्तर पर समग्र आयुष सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 9.05 करोड़ लाभार्थी आयुष्मान आरोग्य मंदिर-आयुष (एएएम-आयुष) का दौरा कर चुके हैं।

घ) एनएएम के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को देश के विभिन्न भागों में ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कमजोर आबादी सहित निम्नलिखित संरचित आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता दी जा रही है, ताकि निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एकल रूप में अथवा पारंपरिक उपचारों के अतिरिक्त के रूप में आयुष स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों की क्षमता के अनुसार आम जनता की समस्याओं का समाधान किया जा सके:-

- i. मस्क्युलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:- ऑस्टियोआर्थराइटिस और अन्य मस्क्युलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसमें जागरूकता, जांच और आयुष उपचारों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

- ii. आयुष को राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के साथ एकीकृत करना
- iii. सुप्रजा (आयुष मातृ एवं नवजात उपचार): आयुष शिक्षण अस्पतालों के माध्यम से आयुष आधारित मातृ एवं नवजात उपचार को मजबूत करना
- iv. वयो मित्र (आयुष जराचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं): आयुष जराचिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन जीने हेतु एक कार्यक्रम है।
- v. आयुर्विद्या: (स्कूलों में आयुष पद्धति के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना) स्कूली बच्चों के लिए आयुष के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्विद्या कार्यक्रम।
- vi. आयुष मोबाइल चिकित्सा इकाई: आयुष पद्धतियों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों सहित वंचित और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयों का प्रस्ताव है।
- vii. कारुण्य: (आयुष प्रशामक सेवाएं): आयुष प्रशामक सेवाओं का उद्देश्य प्रशामक देखभाल के तहत रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
- viii. लिम्फैटिक फाइलेरिया (लिम्फोएडेमा) की रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता निवारण (एमएमडीपी) के लिए आयुष पर राष्ट्रीय कार्यक्रम: आयुष उपचारों के माध्यम से लिम्फैटिक फाइलेरिया (लिम्फोएडेमा) की रुग्णता प्रबंधन और विकलांगता निवारण (एमएमडीपी)।

संलग्नक

वर्ष 2014-15 से 2023-24 तक एनएएम के तहत समर्थित प्रमुख गतिविधियाँ

- i. एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए 167 इकाइयों को सहायता दी गई।

- ii. बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए 416 आयुष अस्पतालों और 5036 आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।
- iii. औसतन प्रत्येक वर्ष दवाओं और आकस्मिक सहायता की आवर्ती सहायता के लिए सह-स्थापन के तहत 2322 पीएचसी, 715 सीएचसी और 314 डीएच को सहायता दी गई।
- iv. औसतन प्रत्येक वर्ष आवश्यक आयुष दवाओं की आपूर्ति के लिए 996 आयुष अस्पतालों और 12405 आयुष औषधालयों को सहायता दी गई।
- v. नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए 16 इकाइयों को सहायता दी गई।
- vi. बुनियादी ढांचे, पुस्तकालय और अन्य चीजों के उन्नयन के लिए 76 स्नातक और 36 स्नातकोत्तर आयुष शैक्षणिक संस्थानों को सहायता दी गई।
- vii. 1055 आयुष ग्रामों को सहायता दी गई।
- viii. 12500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) को सहायता दी गई।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.1; Shri Madan Rathore.

श्री मदन राठौड़: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तार से प्रश्न का जवाब दिया है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आयुष मंत्रालय 9 नवंबर, 2014 को हमारे प्राचीन चिकित्सा पद्धति के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य के आयुष प्रणालियों के इष्टतम विकास और प्रसार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से शुरु किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने राजस्थान को 111.84 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन 2022-23 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार में थी, जिसने इसका यूटिलाइजेशन नहीं किया, तो क्या आप यह राशि आगामी वर्ष में हमें दे सकेंगे?

श्री प्रतापराव जाधव: सभापति महोदय, अगर उनकी ऐसी कोई राशि उनसे खर्च नहीं हुई होगी, तो नियम के अनुसार उसको हम कैसे दे सकते हैं, सोच कर देने की कोशिश करेंगे।

श्री मदन राठौड़: माननीय सभापति जी, राष्ट्रीय आयुष मिशन में 10, 30, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना करने का प्रावधान है तथा नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए मंत्रालय ने पूर्व में 16 इकाइयों को समर्थन दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान में आयुष अस्पताल और नए आयुष कॉलेजों की स्थापना का कोई विचार है?

[उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी) पीठासीन हुए।]

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभाध्यक्ष महोदय, आयुष के जो 10, 30 और 50 हॉस्पिटल्स बनाने की योजना है, वह केंद्र प्रायोजित योजना है। अगर आपके राज्य की तरफ से ऐसा कोई सुझाव आता है या PIP में उसका उल्लेख किया जाता है, तो जैसे सभी राज्यों में दिए जाते हैं, वैसे ही राजस्थान में भी हम जरूर देने की कोशिश करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): धन्यवाद। Third supplementary; Shrimati Renuka Chowdhury.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, regarding AYUSH, Kalitaji sitting there. He was the one under whom the Standing Committee on Health and Family Welfare had submitted a Report asking for a review of the National AYUSH Mission because it was discovered that there are lots of content of heavy metals in the manufacturing of these drugs. Now, this needs to be reviewed immediately because it is of urgent importance. It is particularly important because when this goes into tribal areas, with this kind of medication, there are certain genetic pools which cannot tolerate even oral iron which we give generally across the board. But, the Sindhi Community cannot

ingest oral iron. Like that, in tribal genetics, we have certain population which is intolerant of such things. It amounts to toxicity of the system. Now, the Government should immediately review all this as recommended by the Parliamentary Standing Committee and the Report was also submitted. Nothing has been done.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Only one question.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: The second part of the same question is this. There are amazing developments in the field of medicine today. It is quite star trek. We have no umbrella under which this medicine is recognized; neither under allopathy nor under AYUSH. These are new age medicines that are happening and development is going on.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Please ask question. Ask the question. कृपया प्रश्न पूछें।

श्रीमती रेणुका चौधरी: सर, अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): आप प्रश्न तो पूछिए!

श्रीमती रेणुका चौधरी: सर, मैं यही पूछ रही हूँ कि will you have a review of that to ensure that we inculcate the new age technologies and the new age medicines? For example, I just tell you, Sir, for the knowledge of this House about diabetic wounds. We are the capital of diabetes in the world. For diabetic wound healing, ozone therapy, which is cheap, does remarkable recoveries but it is not recognized under any of our acknowledged sciences. Will the Government take leaf out of that and do something about it?

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न पूछा गया था, वह "राष्ट्रीय आयुष मिशन" और आयुष के बारे में था। सम्माननीय सदस्या ने दवाई के बारे में जो कुछ कहा है...

उपसभाध्यक्ष (श्री घनश्याम तिवाड़ी): उन्होंने अपनी राय दी है।

श्री प्रतापराव जाधव: सर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन अगर ऐसी दवाएं निकलती हैं तो उनकी जाँच, हमारा जो CCRS है और हमारे जो अनुसंधान केंद्र हैं, वहां हो जाती है और अगर उनमें ऐसा कुछ पाया जाता है, तो उनको रिजेक्ट भी किया जाता है।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): No. ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य, अब इस पर चर्चा नहीं होगी। ...*(व्यवधान)*... No discussion. ...*(Interruptions)*... No discussion. ...*(Interruptions)*... Shri Sujeet Kumar; fourth supplementary.

श्री सुजीत कुमार: सर, हमारी महान प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में आजकल के युवाओं और बच्चों में जानकारी कम होती जा रही है। मेरा माननीय मंत्री से यह सवाल है कि हमारी चिकित्सा की हजारों साल पुरानी जो महान परंपरा रही है, क्या इसको स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, ताकि हमारे युवा और बच्चे इसके बारे में जान सकें?

श्री प्रतापराव जाधव: उपसभाध्यक्ष महोदय, आयुष के प्रचार और प्रसार के बाद वर्ष 2022-23 में जो संशोधन किया गया था, उस संशोधन में यह पाया गया था कि 95% लोग आयुष और आयुर्वेद के बारे में जानकारी रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 45% लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करते हैं। शहरी क्षेत्र में 55% आबादी ऐसी है, जो आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग अपनी बीमारी के लिए करती है। माननीय सदस्य ने पाठ्यक्रम के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो निश्चित रूप से हम शिक्षा विभाग के साथ इसकी चर्चा करेंगे। माननीय सदस्य स्वयं मुझसे आकर मिलें, अगर इस बारे में उनके कुछ सुझाव होंगे, तो उन सुझावों को सुनकर हम उनको भी कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, despite the efforts which the Minister has just mentioned, media reports and civic concerns in Kerala have revealed that 23 per cent of Ayurvedic drugs exceeded WHO limits for heavy metals like Lead and Mercury, and 16 per cent of manufacturers were non-compliant with scheduled good manufacturing practice. In that regard, with all the efforts that the ministry is taking, what steps is the ministry taking to ensure that allocated funds are effectively used to enhance drug quality and how will the ministry enforce stricter penalties for non-compliant manufacturers, particularly, regarding heavy metal contamination?

श्री प्रतापराव जाधव: महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा कि दवाई पर नियंत्रण रखने के विषय में बारे में जो पूछा है, यह हमारे अनुसंधान केंद्र, सीसीआरएस के माध्यम से किया जाता है। हमने पुरातन आयुर्वेद में भी देखा कि बहुत सारे ऐसे भस्म हैं, जैसे स्वर्ण भस्म आदि का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर कहीं ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जा रहा होगा, तो निश्चित रूप से अगर हमारे पास कोई complaint या कोई इस प्रकार की जानकारी आती है, तो हमारा मंत्रालय उसकी जांच करके दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI GHANSHYAM TIWARI): Question No. 79.